आर टी आई
08/04/19

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून– 248001

Email ID- ceo_uttaranchal@eci.gov.in

फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2713724

संख्याः 1849 / XXV–12(P-7) / 2008 देहरादूनः दिनांक 08 अप्रैल, 2019.

सेवा में,

श्री विनोद कुमार S/O श्री धर्मदेव यादव
निवासी एच0आर0सी0 पत्थरचट्टा,
हल्दी, पन्तनगर
ऊधमसिंह नगर पिन कोड– 263145

विषयः– **सूचना के अधिकार के अन्तर्गत चाही गयी सूचना हेतु अतिरिक्त शुल्क जमा करने के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके सूचना के अधिकार संबंधी पत्र दिनांक 01 अप्रैल, 2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आपके द्वारा बिन्दु संख्या 01 से बिन्दु संख्या 13 तक की सूचना चाही गयी है। बिन्दु संख्या– 09 से 13 तक की सूचना आपको उपलब्ध कराने हेतु आपके सूचना अनुरोध–पत्र दिनांक 01 अप्रैल, 2019 की छाया प्रति सहित समस्त लोक सूचना अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय, उत्तराखण्ड एवं लोक सूचना अधिकारी कार्यालय वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड को अन्तरित की जा रही है।

बिन्दु संख्या 01 से बिन्दु संख्या 08 तक की सूचना में कुल 11 पृष्ठों में उपलब्ध है। उक्त सूचना उपलब्ध किये जाने हेतु रू0 2.00 प्रति पृष्ठ की दर से कुल 11 पृष्ठों के रू0 22.00 (बाईस) मात्र की धनराशि अतिरिक्त शुल्क के रूप में देय होती है, जिसे यथा शीघ्र पोस्टल आर्डर, बैंक ड्राप्ट या बैकर्स चैक/चालान/नकद जो लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड के पदनाम बना हो प्रेषित करें/करवा दें।

मांगी गयी सूचना को उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी कार्यवाही उक्त अतिरिक्त शुल्क जमा करने के बाद प्रारम्भ होगी। इस पत्र की तिथि से अतिरिक्त शुल्क प्राप्त होने की तिथि तक का समय सूचना उपलब्ध कराने के निर्धारित 30 दिनों में नही गिना जाय। सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैः–

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़,
सचिवालय परिसर, देहरादून

भवदीय,

(डी0पी0डंगवाल)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

कमश–2 पर

rti 2019

पृ0संख्या 1849 / XXV–12(P-7)/2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि समस्त लोक सूचना अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय, उत्तराखण्ड एवं समस्त लोक सूचना अधिकारी कार्यालय वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड को श्री विनोद कुमार S/O श्री धर्मदेव यादव निवासी एच0आर0सी0 पत्थरचट्टा,हल्दी, पन्तनगर ऊधमसिंह नगर के उक्त पत्र दिनांक 01 अप्रैल, 2019 की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अनुरोध पत्र के बिन्दु संख्या–09 से 13 तक में मांगी गयी सूचना आपके विभाग से संबंधित है। कृपया वांछित सूचना अनुरोधकर्ता को अपने स्तर से नियमानुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–उक्तानुसार।

(डी0पी0डंगवाल)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

बिन्दु-1 (3)

संख्या 773 /XXV–08/2014

प्रेषक,

प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

सेवामें,

समस्त जिलाधिकारी एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

निर्वाचन अनुभाग — देहरादून : दिनांक 12 अप्रैल, 2014

विषय– लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2014, निर्वाचन ड्यूटी में तैनात मतदान/मतगणना एवं सुरक्षा कर्मियों आदि को दैनिक पारिश्रमिक/लंच–हल्का नाश्ता आदि के भुगतान के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या– 098/XXV-38(1) /2008 दिनांक 06 फरवरी, 2009 के साथ प्रेषित भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या–464/INST/2008/EPS दिनांक 09 जनवरी, 2009 एवं पत्र संख्या–750/XXV-38-1(2)/2008 दिनांक 20 अप्रैल 2009 के सन्दर्भ मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान/मतगणना कर्मियों तथा सुरक्षा कर्मियों को भुगतान की जाने वाली पारिश्रमिक/लंच–हल्का नाश्ता की दरें अपने पत्र संख्या–464/INST-PAY/20141-EPS दिनांक 28 फरवरी, 2014 (प्रति संलग्न) के अनुसार निम्न प्रकार निर्धारित की गयी है:–

क्र. स.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पारिश्रमिक की न्यूनत्तम धनराशि (₹ में)
1.	सेक्टर आफिसर/जोनल मजिस्ट्रेट	₹1500/– एकमुश्त
2.	पीठासीन अधिकारी/मतगणना पर्यवेक्षक	₹350/– प्रतिदिन अथवा दिन के किसी भाग के लिए
3.	मतदान अधिकारी/मतगणना सहायक	₹250/– प्रतिदिन अथवा दिन के किसी भाग के लिए
4.	चतुर्थ श्रेणी	₹150/– प्रतिदिन अथवा दिन के किसी भाग के लिए
5.	लंच पैकेट/हल्का नाश्ता	₹150/– प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
6.	वीडियो सर्विलांस टीम,वीडियो व्यूविंग टीम,अकॉउन्टिंग टीम, एक्सपेंडिचर मॉनीटरिंग,कन्ट्रोल रूम और कॉल सेन्टर स्टाफ, मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनीटरिंग कमेटी, फ्लाइंग स्क्वाड, स्टेटिक सर्विलांस टीम, एक्सपेंडिचर मॉनीटरिंग सेल।	श्रेणी–I/II (₹1200/– एकमुश्त)
		श्रेणी–III (₹1000/– एकमुश्त)
		श्रेणी–IV (₹200/– प्रतिदिन)
7.	इन्कम टैक्स इंस्पेक्टर	₹1200/– एकमुश्त

उपरोक्त दरें मतदान/मतगणना ड्यूटी में तैनात पुलिस कार्मिकों पर भी समान रूप से लागू होगी।

2.1– उक्त धनराशि का भुगतान मतदान/मतगणना ड्यूटी पर तैनात प्रत्येक कार्मिक (आरक्षित ड्यूटी सहित) को निर्वाचन प्रशिक्षण, निर्वाचन सामग्री आदि प्राप्त करने, मतदान ड्यूटी एवं मतगणना ड्यूटी के फलस्वरूप किया जायेगा। अर्थात कोई भी कार्मिक जिसे निर्वाचन के सुव्यवस्थित सम्पादन / संचालन हेतु मतदान/मतगणना ड्यूटी के लिए तैनात किया गया है, को उक्तानुसार

–क्रमशः 2

आयोग द्वारा नियत दर के आधार पर पारिश्रमिक का भुगतान किया जायेगा।

2.2– निर्वाचन ड्यूटी का आशय सामान्यतः उस अनुमन्य अवधि से होगा जबकि निर्वाचन के पूर्वाभ्यास के लिए कोई भी मतदान/मतगणना कार्मिक अपने निवास/कार्यालय मुख्यालय से जिस समय और तिथि में प्रस्थान कर उक्त प्रयोजन हेतु निर्धारित स्थान/स्थानों पर निर्वाचन के पूर्वाभ्यास हेतु उपस्थित हुआ है और पूर्वाभ्यास की समाप्ति के पश्चात अनुमन्य सामान्य अवधि में अपने निवास/कार्यालय मुख्यालय पर वापस पहुँचा है। इसी प्रकार मतदान हेतु निर्धारित तिथि में निर्वाचन सामग्री प्राप्त करने से लेकर मतदान की समाप्ति के पश्चात संग्रह केन्द्र पर सील्ड EVMs तथा अन्य अभिलेख जमा करने एवं मतगणना की समाप्ति के उपरान्त अनुमन्य सामान्य अवधि में अपने निवास/कार्यालय मुख्यालय पर वापस पहुँचने तक की अवधि को भी तदनुसार पारिश्रमिक के भुगतान हेतु सम्मिलित किया जायेगा।

2.3– उक्त कालवधि में आवागमन के लिए प्रत्येक कार्मिक को उसके निवास/कार्यालय मुख्यालय से निर्वाचन के पूर्वाभ्यास/सामग्री प्राप्ति के लिए नियत स्थान तक पहुँचने और पूर्वाभ्यास–मतदान/मतगणना की समाप्ति के पश्चात पुनः अपने निवास/कार्यालय मुख्यालय वापस जाने के लिए **सामान्य रूप से अनुमन्य वाहन किराया देय होगा** किन्तु उक्त अवधि में निर्वाचन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई वाहन सुविधा में कोई किराया भाड़ा देय नहीं होगा। किसी भी कार्मिक को उक्त के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई आनुसांगिक व्यय आदि देय नहीं होगा।

2.4– मतदान/मतगणना डयूटी के अतिरिक्त निर्वाचन संबंधी अन्य कार्यों के सम्पादन/संचालन हेतु किसी भी अधिकारी/कर्मचारी आदि को सामान्य रूप से प्रचलित यात्रा भत्ता की अनुमन्य दरों के अनुसार ही नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

3– भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान/मतगणना कार्मिकों को पूर्व में देय लंच/हल्का नाश्ता की दरें भी पुनरीक्षित की गई है और पुनरीक्षित दरों के अनुसार कार्मिकों को पैक लंच/हल्का नाश्ता उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में ₹150/– कार्मिक की दर से नकद भुगतान किए जाने के निर्देश निर्गत किए गए हैं।

3.1– मतदान/मतगणना डयूटी हेतु तैनात प्रत्येक कार्मिक को निर्वाचन के पूर्वाभ्यास/निर्वाचन सामग्री प्राप्ति/ मतदान एवं मतगणना के दिनांक पर पैक लंच/ हलका नाश्ता अनुमन्य कराया जाना है। सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि द्वितीय Randomization के पश्चात किसी भी मतदान कार्मिक को मतदान पार्टी के रूप में नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप आयोजित निर्वाचन के पूर्वाभ्यास, तत्पश्चात मतदेय स्थल के लिए तैनाती के फलस्वरूप निर्वाचन सामग्री आदि की प्राप्ति और मतदान की समाप्ति के पश्चात वापस संग्रह केन्द्र पर लौटने तक कुल वास्तविक दिवसों के आधार पर संबंधित कार्मिकों को पैक लंच/हल्का नाश्ता अनुमन्य कराया जायेगा। कदाचित यदि पैक लंच/हल्का नाश्ता अनुमन्य कराया जाना सम्भव न हो तो ऐसी स्थिति में आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक कार्मिक को ₹150/– प्रतिदिन की दर से उक्त प्रयोजन हेतु नकद भुगतान किया जाय। मतगणना डयूटी हेतु तैनात कार्मिकों को मतगणना दिवस पर पैक लंच/हल्का नाश्ता अनुमन्य कराया जाय। उक्त सुविधा आरक्षित डयूटी में तैनात कार्मिकों को भी नियमानुसार अनुमन्य कराई जायेगी।

3.2– मतदान/मतगणना हेतु तैनात समस्त सुरक्षा कर्मियों यथा मोबाइल पार्टी, होमगार्ड , फॉरेस्ट गार्ड, ग्राम रक्षक दल, एन.सी.सी. सीनियर कैडेट, भूतपूर्व सैनिक एवं सी.पी.एफ आदि को भी पैक लंच/ हल्का नाश्ता की उक्त सुविधा नियमानुसार अनुमन्य कराई जायेगी। इस संबंध में पुलिस विभाग से समन्वय स्थापित कर धनराशि का आगणन करते हुए समय पर अपेक्षित धनराशि पुलिस

–क्रमशः 3

विभाग को उपलब्ध करा दी जाय।

4– निर्वाचन डयूटी में तैनात समस्त जोनल/ सेक्टर मजिस्ट्रेटों को रूपये–1500/–मात्र की धनराशि एकमुश्त पारिश्रमिक के रूप में उपलब्ध कराई जायेगी।

5– प्रस्तर–2 में अंकित तालिका के क्रम संख्या–2, 3 एवं 4 एवं प्रस्तर 2.3 में उल्लिखित वाहन किराया के रूप में व्यय होने वाली धनराशि का भुगतान अनुदान संख्या–05, लेखाशीर्षक–2015 निर्वाचन आयोजनेत्तर, 105–संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार, 03–सामान्य निर्वाचन, 04–यात्रा व्यय की मानक मद से तथा, प्रस्तर–2 में अंकित तालिका के क्रम संख्या–1, 5,6 एवं 7 में उल्लिखित मदों से संबंधित व्यय होने वाली सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान उल्लिखित लेखाशीर्षक/उप लेखाशीर्षक की 08–कार्यालय व्यय की मानक मद से किया जायेगा।

6– भारत निर्वाचन अयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक कार्मिक को 80% टीए/डीए का भुगतान अग्रिम के रूप में तथा शेष 20% धनराशि का भुगतान निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति के पश्चात 30 दिन के अन्दर अनिवार्यतः सुनिश्चित कर लिया जाय। पैक लंच/हल्का नाश्ता के रूप में अनुमन्य सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान प्रत्येक दशा में विलम्बतः निर्वाचन सामग्री वितरण के समय ही नियमानुसार सुनिश्चित कर लिया जाय।

अतः कृपया उक्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सभी संबंधितों को आवश्यक निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ।

<u>संख्या 773/XXV–08/2014 तद् दिनॉकित।</u>

<u>प्रतिलिपिः</u>–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबेराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2.. वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
5. विभागीय प्रति।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

वि-5 - 6

कार्यालय सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी
पत्र प्राप्ति का दिनांक— 04/03/14
रजिस्टर क्रमांक— 135 पत्रावली संख्या—

भारत निर्वाचन आयोग
ELECTION COMMISSION OF INDIA

EPABX 011-23717391-98
Fax 011-23713412/23739944
Website: www.eci.nic.in

निर्वाचन सदन,
अशोक रोड, नई दिल्ली–110001.
Nirvachan Sadan,
Ashoka Road, New Delhi-110001.

Jt. C.E.O
Pl. discuss,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
24-3-14

No. 464/INST-PAY/2014-EPS

Dated: 28th February 2014

To

S.O. Ele.

The Chief Electoral Officers of
all States and Union Territories.

(सौजन्या)
अपर सचिव एवं
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी

Subject:- **Fixing uniform rate of remuneration to the officers/officials deployed on election duty - Regarding.**

Sir/Madam,

In supersession of the Commission's letter No. 464/INST/2009/EPS, dated 9th January, 2009, and in order to bring uniformity in payment of remuneration to polling/counting personnel, the Commission has recommended the following rates of remuneration to be paid to the officers/officials deployed on election duty:-

Sl. No.	Designation of Officers/Officials	Minimum Rate of remuneration (in Rupees)
1.	Sector Officer/Zonal Magistrate	1500/- lump sum
2.	Presiding Officer/Counting Supervisor	350/- per day or part thereof
3.	Polling Officers/Counting Asstt.	250/- per day or part thereof
4.	Class-IV	150/- per day or part thereof
5.	Packed lunch and/ or light refreshment	150/- per head per day
6.	Video Surveillance Team, Video Viewing Team, Accounting Team, Expenditure Monitoring Control Room and Call Center Staffs, Media Certification and Monitoring Committee, Flying Squads, Static Surveillance Team, Expenditure Monitoring Cell	Class – I/II (Rs. 1200/- lump sum) Class – III (Rs. 1000/- lump sum) Class – IV (Rs. 200/- per day)
7.	Income Tax Inspector	Rs. 1200/- lump sum
The abovementioned rates are equally applicable to police personnel actually deployed on polling booths/counting centers.		

2. The above rates are payable to the staff for attending training classes, collecting polling materials, etc. and also for attending duty on the polling day/counting day.

3. The Commission has also directed that staff deployed at all polling stations/counting centers may be provided with packed lunch and or light refreshment at the rate of Rs. 150/- per head per day. In case of difficulty in providing packed lunch, a cash payment @ Rs. 150/- per head may be made.

4. The above rates as recommended by the Commission are **minimum rates**. The States/Union Territories, which are paying more than the minimum rates recommended by the Commission, may continue to pay at the higher rates. These rates will come into force prospectively and will have no retrospective effect.

5. The police personnel deployed on election work on poll day/Counting day including mobile Parties/Home Guards/Forest Guards/Gram Rakshak Dal/NCC (senior) Cadets/Ex-Army/CPF may be provided with packed lunch/refreshment or payment in lieu thereof as is being given to polling/counting personnel.

6. The expenditure incurred on this account will be borne in the following manner:

(i) In case of election to the House of People: 100% by the Union Government.

(ii) In case of election to the Legislative Assembly: 100% by the State Government concerned.

(iii) In case of simultaneously election to the House of the People and the State Legislative Assembly: The expenditure will be shared between the Central and the Sate Government on 50:50 basis.

7. Kindly acknowledge the receipt of this letter immediately.

Yours faithfully,

(Sumit Mukherjee)

Secretary

विभाग
पत्रावली संख्या

—1—

बिन्दु - 2

टीपें और आज्ञायें

अपर सचिव / सं0मु0नि0अ0

महोदया, कृपया पताका 'क' पर भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या–464 / INST-PAY/20141-EPS दिनांक 28 फरवरी, 2014 का अवलोकन करना चाहें, जिसके अनुसार निम्न प्रकार निम्न प्रकार मतदान / मतगणना कार्मिकों तथा सुरक्षा कर्मियों आदि के लिए पारिश्रमिक की दरें निर्धारित की गयी है:–

अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पारिश्रमिक की न्यूनत्तम धनराशि (₹ में)
1. सेक्टर आफिसर / जोनल मजिस्ट्रेट	₹1500 / – एकमुश्त
2. पीठासीन अधिकारी / मतगणना पर्यवेक्षक	₹350 / – प्रतिदिन अथवा दिन के किसी भाग के लिए
3. मतदान अधिकारी / मतगणना सहायक	₹250 / – प्रतिदिन अथवा दिन के किसी भाग के लिए
4. चतुर्थ श्रेणी	₹150 / – प्रतिदिन अथवा दिन के किसी भाग के लिए
5. लंच पैकेट / हल्का नाश्ता	₹150 / – प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
6. वीडियो सर्विलांस टीम,वीडियो व्यूविंग टीम,अकॉउन्टिंग टीम, एक्सपेंडिचर मॉनीटरिंग,कन्ट्रोल रूम और कॉल सेन्टर स्टाफ, मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनीटरिंग कमेटी, फ्लाइंग स्क्वाड, स्टेटिक सर्विलांस टीम, एक्सपेंडिचर मॉनीटरिंग सेल।	श्रेणी–I / II (₹1200 / – एकमुश्त) श्रेणी–III (₹1000 / – एकमुश्त) श्रेणी–IV (₹200 / – प्रतिदिन)
इन्कम टैक्स इंस्पेक्टर	₹1200 / – एकमुश्त

उपरोक्त दरें मतदान / मतगणना ड्यूटी में तैनात पुलिस कार्मिकों पर भी समान रूप से लागू होगी।

2. आयोग के उक्त संदर्भित पत्र के क्रम में शासनादेश का आलेख तैयार किया गया है जिस पर प्रमुख सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदया, का अनुमोदन एवं हस्ताक्षर निवेदित है।

अतः सहमति की दशा में उक्तानुसार शासनादेश के आलेख पर प्रमुख सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदया, के हस्ताक्षर हेतु पत्रावली संदर्भित करना चाहें।

महोदया,
कृपया अनुमोदनार्थ / हस्ताक्षरार्थ निवेदित।

(हस्ताक्षर)
स0 अ0
12/04/14

(हस्ताक्षर)
अ0 स0
12/4/2014

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या 098/XXV–38(1–3)/2008 देहरादून : दिनांक 06 फरवरी, 2009

सेवा में,

1. मण्डलायुक्त,
गढ़वाल/कुमॉयू मण्डल।

2. समस्त जिलाधिकारी एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषय– **मतदान/मतगणना कार्य हेतु नियुक्त कार्मिकों को भुगतान किये जाने वाले पारिश्रमिक का निर्धारण एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के संबंध में आयोग के निर्देशों का प्रेषण।**

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक विभिन्न सामान्य/उप निर्वाचनों के दौरान मतदान/मतगणना कार्य हेतु नियुक्त कार्मिकों को भुगतान किये जाने वाले पारिश्रमिक के निर्धारण एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध कराये जाने से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या 464/INST/2008/EPS दिनांक 09 जनवरी, 2009 की प्रतिलिपि संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग के दिशा–निर्देशों का भली–भॉति अध्ययन करते हुए तद्नुसार मतदान/मतगणना कार्मिकों, जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेटों को पुनरीक्षित दरों के अनुरूप नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए उक्त से समस्त रिटर्निंग आफिसरों/ सहायक रिटर्निंग आफिसरों आदि को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

बि-(4)

(35)

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN, ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001.

No. 464/INST/2009/EPS

Dated: 9th January, 2009

कार्यालय
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
सं0..03....दि0..15/01/09

To

The Chief Electoral Officers
of All States/Union Territories,

Subject: **Fixing of Uniform rate of remuneration for payment to staff deployed on poll/counting duty and for provision of minimum facilities-Regarding**

Sir/Madam,

In supersession of Commission's earlier instruction issued vide letter Nos. 458/4/95/PLN/IV dated 14th March, 1996 and 458/4/99/PLN/IV dated 10th September, 1999 regarding fixing of minimum rate of remuneration for staff deployed on poll/counting duty, the Commission has recommended the following rates in order to streamline and simplify the procedure for calculation of remuneration payable to polling/counting personnel:-

	Presiding officers/ Counting Supervisors	Polling officers/ Counting assistants	Class -IV
Per day or Part thereof	250/-	175/-	100/-

The above rates are payable to the staff for attending training classes, collecting polling materials, etc. and also for attending duty on the polling day/counting day.

2. The Commission has also directed that staff deployed at all polling stations/ counting centres may be, provided with packed lunch and or light refreshment at the rate of Rs. 100/- per head per day. In case of difficulty in providing packed lunch, a cash payment @ Rs. 100/- per head may be made.

3. The expenditure incurred on this account will be shared between the Central and Sate Government on 50:50 basis when election to the House of the People and the State Legislative Assemblies are held simultaneously.

4. The rates recommended by the Commission at paragraph 1 &2 above are MINIMUM rates. These rates: will come into force prospectively and will have no retrospective effect.

5. The police personnel deployed on election work on poll day/Counting day including mobile Parties/Home Guards/Forest Guards/Gram Rakshak Dal/NCC (senior) Cadets/Ex-Army/CPF may be provided with packed lunch/refreshment or payment in lieu thereof as is being given to polling/counting personnel.

6. Sector Officer/Zonal Magistrate may be paid remuneration at a lump sum rate of Rs. 800/-.

7. The States/Union Territories which are paying more than the minimum rates recommended by the Commission may continue to pay at the higher rates.

8. Kindly acknowledge receipt immediately.

Yours faithfully

(SUMIT MUKHERJEE)
UNDER SECRETARY

बि-5

123

शासी 20/4/09

संख्या 750 / XXV –38–1 (2) / 2008

प्रेषक,

सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

सेवामें,

समस्त जिलाधिकारी एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

निर्वाचन अनुभाग : देहरादूनः दिनांकः 20 अप्रैल, 2009

विषयः- लोक सभा सामान्य निर्वाचन - 2009, निर्वाचन ड्यूटी में तैनात मतदान/मतगणना एवं सुरक्षा कर्मियों आदि को दैनिक पारिश्रमिक / लंच-हल्का नाश्ता आदि के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या-098/xxv-38(1)/2008 दिनांक 06 फरवरी, 2009 के साथ प्रेषित भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-464/INST/2008/EPS दिनांक 09 जनवरी, 2009 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान / मतगणना कर्मियों तथा सुरक्षा कर्मियों को भुगतान की जाने वाली पारिश्रमिक / लंच-हल्का नाश्ता हेतु निम्नानुसार दरें निर्धारित की गई है।

क्रम सं0	अनुमन्यता का विवरण	पीठासीन अधिकारी / गणना पर्यवेक्षक हेतु	मतदान अधिकारी / गणना सहायक हेतु	चतुर्थ श्रेणी
1.	प्रतिदिन अथवा दिन के किसी भाग के लिए	250/-	175/-	100/-

2.1- उक्त धनराशि का भुगतान मतदान/मतगणना ड्यूटी पर तैनात प्रत्येक कार्मिक (आरक्षित ड्यूटी सहित) को निर्वाचन प्रशिक्षण, निर्वाचन सामग्री आदि प्राप्त करने, मतदान ड्यूटी एवं मतगणना ड्यूटी के फलस्वरूप किया जायेगा। अर्थात कोई भी कार्मिक जिसे निर्वाचन के सुव्यवस्थित सम्पादन / संचालन हेतु मतदान / मतगणना ड्यूटी के लिए तैनात किया गया है, को उक्तानुसार आयोग द्वारा नियत दर के आधार पर पारिश्रमिक का भुगतान किया जायेगा।

2.2- निर्वाचन ड्यूटी का आशय सामान्यतः उस अनुमन्य अवधि से होगा जबकि निर्वाचन के पूर्वाभ्यास के लिए कोई भी मतदान / मतगणना कार्मिक अपने निवास /कार्यालय मुख्यालय से जिस समय और तिथि में प्रस्थान कर उक्त प्रयोजन हेतु निर्धारित स्थान/ स्थानों पर निर्वाचन के पूर्वाभ्यास हेतु उपस्थित हुआ है और पूर्वाभ्यास की समाप्ति के पश्चात अनुमन्य सामान्य अवधि में अपने निवास/ कार्यालय मुख्यालय पर वापस पहुँचा है। इसी प्रकार मतदान हेतु निर्धारित तिथि में निर्वाचन सामग्री प्राप्त करने से लेकर मतदान की समाप्ति के पश्चात संग्रह केन्द्र पर सील्ड EVM,s तथा अन्य अभिलेख जमा करने एवं मतगणना की समाप्ति के उपरान्त अनुमन्य सामान्य अविध में अपने निवास/कार्यालय मुख्यालय पर वापस पहुँचने तक की अवधि को भी तदनुसार पारिश्रमिक के भुगतान हेतु सम्मिलित किया जायेगा।

2.3- उक्त कालावधि में आवगमन के लिए प्रत्येक कार्मिक को उसके निवास/कार्यालय मुख्यालय से निर्वाचन के पूर्वाभ्यास/सामग्री प्राप्ति के लिए नियत स्थान तक पहुँचने और पूर्वाभ्यास-मतदान/मतगणना की समाप्ति के पश्चात पुनः अपने निवास/कार्यालय मुख्यालय वापस जाने के लिए सामान्य रूप से अनुमन्य वाहन किराया देय होगा किन्तु उक्त अवधि में निर्वाचन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई वाहन सुविधा के सम्बन्ध में कोई किराया भाड़ा देय नहीं होगा। **किसी भी कार्मिक को उक्त के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई आनुसांगिक व्यय आदि देय नहीं होगा।**

2.4- मतदान / मतगणना ड्यूटी के अतिरिक्त निर्वाचन सम्बन्धी अन्य कार्यों के सम्पादन/संचालन हेतु किसी भी अधिकारी / कर्मचारी आदि को सामान्य रूप से प्रचलित यात्रा भत्ता की अनुमन्य दरों के अनुसार ही नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

--2 पर

122

3- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान/मतगणना कार्मिकों को पूर्व में देय लंच/हल्का नाश्ता की दरें भी पुनरीक्षित की गई है और पुनरीक्षित दरों के अनुसार कार्मिकों को पैक लंच / हल्का नाश्ता उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में **रूपये-100/- कार्मिक** की दर से नकद भुगतान किए जाने के निर्देश निर्गत किए गए हैं।

3.1- मतदान / मतगणना ड्यूटी हेतु तैनात प्रत्येक कार्मिक को निर्वाचन के पूर्वाभ्यास / निर्वाचन सामग्री प्राप्ति / मतदान एवं मतगणना के दिनांक पर पैक लंच / हल्का नाश्ता अनुमन्य कराया जाना है। सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि द्वित्तीय Randomization के पश्चात किसी भी मतदान कार्मिक को मतदान पार्टी के रूप में नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप आयोजित निर्वाचन के पूर्वाभ्यास, तत्पश्चात मतदेय स्थल के लिए तैनाती के फलस्वरूप निर्वाचन सामग्री आदि की प्राप्ति और मतदान दिवस पर इस प्रकार **कुल तीन दिवसों** के लिए संबंधित कार्मिकों को पैक लंच/हल्का नाश्ता अनुमन्य कराया जाय। कदाचित यदि पैक लंच / हल्का नाश्ता अनुमन्य कराया जाना सम्भव न हो तो ऐसी स्थिति में आयोग के निर्देशानुसार **प्रत्येक कार्मिक को 100/- प्रतिदिन** की दर से उक्त प्रयोजन हेतु नकद भुगतान किया जाय। मतगणना ड्यूटी हेतु तैनात कार्मिकों को मतगणना दिवस पर पैक लंच/हल्का नाश्ता अनुमन्य कराया जाय। उक्त सुविधा आरक्षित ड्यूटी में तैनात कार्मिकों को भी नियमानुसार अनुमन्य कराई जायेगी।

3.2- मतदान / मतगणना हेतु तैनात समस्त सुरक्षा कर्मियों को भी पैक लंच/हल्का नाश्ता की उक्त सुविधा नियमानुसार अनुमन्य कराई जायेगी। इस सम्बन्ध में पुलिस विभाग से समन्वय स्थापित कर धनराशि का आगणन करते हुए समय पर अपेक्षित धनराशि पुलिस विभाग को उपलब्ध करा दी जाय।

4- निर्वाचन ड्यूटी में तैनात समस्त जोनल / सेक्टर मजिस्ट्रेटों को **रूपये-800/- मात्र** की धनराशि एकमुश्त पारिश्रमिक के रूप में उपलब्ध कराई जायेगी।

5- प्रस्तर-2 के अनुसार व्यय होने वाली धनराशि का भुगतान अनुदान संख्या-05, लेखाशीर्षक-2015-निर्वाचन आयोजनेत्तर, 105-संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार, 03-सामान्य निर्वाचन, **04-यात्रा व्यय की** मानक मद से तथा, प्रस्तर-3 एवं 8 के अनुसार व्यय होने वाली सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान उल्लिखित लेखाशीर्षक/उप लेखाशीर्षक की **08-कार्यालय व्यय** की मानक मद से किया जायेगा।

6- भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक कार्मिक को **80%** टीए/डीए का भुगतान अग्रिम के रूप में तथा **शेष 20% धनराशि** का भुगतान निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति के पश्चात 30 दिन के अन्दर अनिवार्यतः सुनिश्चित कर लिया जाय। पैक लंच / हल्का नाश्ता के रूप में अनुमन्य सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान प्रत्येक दशा में विलम्बतः निर्वाचन सामग्री वितरण के समय ही नियमानुसार सुनिश्चित कर लिया जाय।

अतः कृपया उक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सभी संबंधितों को आवश्यक निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
सचिव, एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

संख्या 750 /XXV –38–1 (2)/2008 तद् दिनॉकित।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, ओबेरॉय बिल्डिंग माजरा, देहरादून।
2- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
3- मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल ।
4- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5- वित्त अनुभाग-5 उत्तराखण्ड।

आज्ञा से-

(राधा रतूड़ी)
सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

प्राप्त–6/4/19

AS 22

सेवा में,

श्रीमान लोक सूचना अधिकारी/मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय,
कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड़
विश्वकर्मा भवन प्रथम तल, सचिवालय परिसर
4–सुभाष रोड़, देहरादून, 248001

विषय :– प्रार्थी/आवेदक को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त कराने विषयक।

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत निम्नलिखित बिन्दूओं की संकलित सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें –

1–यह कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा जारी शासनादेश/आदेश पत्र संख्या–773/XXV–08/2014, देहरादून, दिनांक– 12 अप्रैल, 2014 की प्रमाणित छायाप्रति। 3 पृष्ठ

2–यह कि आपके द्वारा जारी शासनादेश/आदेश पत्र संख्या–773/XXV–08/2014, दिनांक– 12 अप्रैल, 2014 की पत्रावली में संलग्न समस्त अभिलेखों, प्रपत्रों, नोटिस, नोटिंग, टीपें आख्या आदेश निर्देश इत्यादि की प्रमाणित छायाप्रति। 01 पृष्ठ

3–यह कि आपके/आपके कार्यालय द्वारा जारी पत्र संख्या–098/XXV–38(1)/2008 दिनांक–06 फरवरी 2009 की प्रमाणित छायाप्रति । 01 पृष्ठ

4–यह कि आपके द्वारा जारी आदेश पत्र संख्या–773/XXV–08/2014 दिनांक– 12 अप्रैल, 2014 में उल्लेखित, भारत निर्वाचन आयोग के **पत्र संख्या– 464/INST/2008/EPS दिनांक–09 जनवरी 2009** की प्रमाणित छायाप्रति। 02 पृष्ठ

5–यह कि आपके द्वारा जारी आदेश पत्र संख्या–773/XXV–08/2014 दिनांक– 12 अप्रैल, 2014 में उल्लेखित **पत्र संख्या–750/XXV–38–1(2)/2008 दिनांक– 20 अप्रैल 2009** की प्रमाणित छायाप्रति। 2 पृष्ठ

6–यह कि आपके द्वारा जारी आदेश पत्र संख्या– 773/XXV–08/2014 दिनांक– 12 अप्रैल, 2014 में उल्लेखित, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान/मतगणना कर्मियों तथा सुरक्षा कर्मियों को भुगतान की जाने वाली पारिश्रमिक/लंच–हल्का नाश्ता की दरों के सम्बन्ध में **जारी आदेश पत्र संख्या– 464/INST-PAY/20141-EPS दिनांक– 28 फरवरी 2014** की प्रमाणित छायाप्रति। 2 पृष्ठ

7–यह कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2019, हेतु **भारत निर्वाचन आयोग द्वारा** मतदान/मतगणना कर्मियों तथा सुरक्षा कर्मियों आदि को भुगतान किये जाने वाली दैनिक पारिश्रमिक/लंच–हल्का नाश्ता आदि की दरों के सम्बन्ध में जारी आदेश/निर्देश की प्रमाणित छायाप्रति।

8–यह कि आपके द्वारा जारी आदेश **पत्र संख्या–773/XXV–08/2014 दिनांक– 12 अप्रैल, 2014** में उल्लेखित है कि, ***"उपरोक्त दरें मतदान/मतगणना ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मियों पर भी समान रूप से लागू होगी"*** चूंकि आरक्षी/मुख्य आरक्षी (कांस्टेबल/हेड कांस्टेबल) के पद पर नियुक्त पुलिस कर्मियों को मतदान/मतगणना ड्यूटी में तैनाती के दौरान पारिश्रमिक/लंच–हल्का नाश्ता आदि के भुगतान के सम्बन्ध में **लागू दरों की धनराशि** सहित स्पष्ट उल्लेख/विवरण को प्रमाणित करते हुए सूचना उपलब्ध कराने की कृपा करें।

9–यह कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2019 के निर्वाचन ड्यूटी में तैनात मतदान/मतगणना कर्मियों एवं सुरक्षा कर्मियों आदि को दैनिक पारिश्रमिक/लंच–हल्का नाश्ता आदि के भुगतान के सम्बन्ध में आपके द्वारा जारी आदेश/निर्देश की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराने की कृपा करें।

10–यह कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2019 के निर्वाचन ड्यूटी मतदान/मतगणना में तैनात सुरक्षा कर्मियों में कान्स्टेबल/हेड कान्स्टेबल पद के पुलिस कर्मी को दैनिक पारिश्रमिक/लंच–हल्का नाश्ता आदि के भुगतान के सम्बन्ध में लागू दरों का स्पष्ट उल्लेख/विवरण सहित प्रति पुलिस कर्मी की कुल धनराशि (रूपये) सहित सूचना उपलब्ध कराने की कृपा करें।

11–यह कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन–2017, हेतु **भारत निर्वाचन आयोग द्वारा** मतदान/मतगणना कर्मियों तथा सुरक्षा कर्मियों आदि को भुगतान किये गये दैनिक पारिश्रमिक/लंच–हल्का नाश्ता आदि की दरों के सम्बन्ध में जारी आदेश/निर्देश की प्रमाणित छायाप्रति।

9 - 13 SP.DEO

01-04-2019

P.T.O.

12–यह कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन–2017, के निर्वाचन ड्यूटी में तैनात मतदान/मतगणना कर्मियों एवं सुरक्षा कर्मियों आदि को दैनिक पारिश्रमिक/लंच–हल्का नाश्ता आदि के भुगतान के सम्बन्ध में **आपके द्वारा जारी आदेश/निर्देश** की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराने की कृपा करें।

13–यह कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन–2017, के निर्वाचन ड्यूटी मतदान/मतगणना में तैनात सुरक्षा कर्मियों में कान्स्टेबल/हेड कान्स्टेबल पद के पुलिस कर्मी को दैनिक पारिश्रमिक/लंच–हल्का नाश्ता आदि के भुगतान के सम्बन्ध में **लागू दरों का स्पष्ट उल्लेख/विवरण सहित प्रति पुलिस कर्मी की कुल धनराशि (रूपये)** सहित सूचना उपलब्ध कराने की कृपा करें।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त बिन्दूओं की सूचना संकलित कर प्रार्थी/आवेदक को उपलब्ध कराने की कृपा करें।

दिनांक– 01 अप्रैल, 2019

प्रार्थी/आवेदक

01/04/2019

(विनोद यादव S/o श्री धर्मदेव यादव)
नि0– एच0 आर0 सी0 पत्थरचट्टा,
हल्दी, पन्तनगर, ऊधम सिंह नगर
पिन कोड– 263145 (उत्तराखण्ड)

संलग्नकः–(1)–प्रार्थी/आवेदक द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्ति शुल्क की राशि **रू0 10/–** (रूपये दस मात्र) **पोस्टल ऑर्डर सं0– 46F 290304** की मूल प्रति संलग्न है।

नोटः– (1)–प्रार्थी/आवेदक द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत निर्धारित कोई अतिरिक्त शुल्क/प्रभार यदि, लागू हो को भी देने के लिए वचनबद्ध है।
(2)–कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना यथाशीघ्र एवं निर्धारित समय के अन्दर उपलब्ध करायी जाए।